

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

दिनांक : 6/1/18

अधिसूचना संख्या 25/भू अ०
चूंकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :- हिडोलावरन, थाना-देवघर, थाना सं०-811, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-हिडोलावरन, थाना-देवघर, थाना सं०-811, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमावेश 4.13 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-


क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	358	रैयती	धानी-3	0.18	द्वारिका प्रसाद यादव पे० अमीन महतो सा० पथरी।	8	9	10	11
2	2	351	रैयती	धानी-2	0.13	तथैव।	मौज I-अ गई नं०, 781	पथरी नं० 817	छाता कुरुम 812	हिरना टांड 731
3	2	356	रैयती	धानी-3	0.18	तथैव।				
4	5	336	रैयती	धानी-3	0.16	शिवनाथ यादव वो तिलक यादव पे० संगम महतो अंश समान सा० पथरी।				
5	5	333	रैयती	धानी-3	0.005	तथैव।				
6	5	341	रैयती	धानी-3	0.13	तथैव।				
7	5	328	रैयती	धानी-3	0.21	तथैव।				
8	5	357	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव।				
9	5	354	रैयती	धानी-2	0.075	तथैव।				
10	5	337	रैयती	धानी-3	0.12	महेन्द्र यादव पे० कंगाल महतो सा० पथरी।				
11	5	342	रैयती	धानी-3	0.26	तथैव।				
12	5	345	रैयती	धानी-3	0.16	तथैव।				
13	5	327	रैयती	धानी-2	0.02	तथैव।				
14	5	359	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
15	5	355	रैयती	धानी-2	0.075	तथैव।				
16	11	393	रैयती	धानी-2	0.095	नेवाजी यादव पे० नथन महतो सा० देह।				
17	11	410	रैयती	धानी-1	0.005	तथैव।				
18	11	411	रैयती	धानी-2	0.11	दिलचन्द महतो पे० गुलो महतो वो लालमोहन महतो पे० नुनधन महतो वो दशरथ महतो पे० हेमलाल महतो वो नेवाजी यादव पे० नथन महतो अंश समान सा० देह।				
19	11	387	रैयती	धानी-1	0.28	तथैव।				
20	12	385	रैयती	धानी-3	0.17	विष्णु यादव वो कोशलया देवी पे० लालजी महतो वो जगीया देवी पति नगडी महतो वो जगदीश यादव वो नरेश प्र० यादव पे० खेल महतो अंश समान सा० चोपा मोड़।				
21	21	343	रैयती	धानी-2	0.12	चिन्ता देवी माता फुलिया महतवाइन वो रूब देव महतो माता पेरिया महतवाइन अंश समान सा० पथरी।				
22	21	344	रैयती	धानी-2	0.02	तथैव।				
23	21	329	रैयती	धानी-3	0.19	तथैव।				
24	21	326	रैयती	बाडी-2	0.53	तथैव।				

25	21	346	रैयती	धानी-3	0.10	तथैव।				
26	26	394	रैयती	धानी-1	0.13	वासुदेव महतो पे० भुदू महतो वो दिवाकर यादव पे० जोगीन्दर महतो वो गोवर्धन महतो वो दीनु महतो वो बालदेव यादव पे० शालीग्राम महतो वो गनेश यादव वो अकलू प्र० यादव वो किसन यादव पे० प्रसाद महतो अंश समान सा० देह।				
27	26	383	रैयती	धानी-2	0.005	तथैव।				
28	26	381	रैयती	धानी-3	0.14	तथैव।				
29	27	384	रैयती	बाड़ी-2	0.26	अर्जुन मोदी वो विष्णु मोदी पे० बलभद्र मोदी वो सहदेव मोदी वो जामुन मोदी पे० सीताराम मोदी अंश समान सा० मोहनपुर।				
30	37	382	रैयती	धानी-3	0.22	इन्दू देवी पति गौरीशंकर साह सा० देह।				
कुल रकवा-					4.13					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्याविधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।


6/1/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 25 / भू अ०, देवघर, दिनांक 6/1/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघरको सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


6/1/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।